भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2887

दिनांक 20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

पी.एम.के.के.के.वाई.

2887. श्री अरूण कुमार सागर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई.) के तहत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कार्य किए जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और
(ग) केन्द्रीय आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा गत वर्षों से अब तक वर्ष-वार इसका कितना उपयोग किया गया है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): खान मंत्रालय ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकसात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए दिनांक 16.09.2015 को दिशानिर्देश प्रचालित किए। पीएमकेकेकेवाई के तहत शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिला खनिज फाउंडेशन से निधि आवंटित की जाती है। पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीएमएफ को पीएमकेकेकेवाई योजना के तहत कवर किए जाने वाले प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान करने और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे (i) पेयजल आपूर्ति; (ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय; (iii) स्वास्थ्य देखभाल; (iv) शिक्षा; (v) महिला एवं बाल कल्याण; (vi) वृद्ध और दिव्यांगजन कल्याण; (vii) कौशल विकास; और (viii) स्वच्छता पर कम से कम 60% निधि और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे (i) वास्तविक अवसंरचना; (ii) सिंचाई; (iii) ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास; और (iv) खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी अन्य उपाय पर 40% तक व्यय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में किये गये कार्यों का ब्यौरा अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ग) खान मंत्रालय में केंद्र सरकार से जिला खनिज फाउंडेशनों (डीएमएफ) के लिए बजटीय आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। डीएमएफ को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के निश्चित

प्रतिशत के अनुसार खनन पट्टा धारकों के वैधानिक अंशदान से वित्त पोषित किया जाता है। डीएमएफ के तहत किया गया अंशदान संबंधित जिलों द्वारा एकत्र किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-**2887** के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-**I**

क्र. सं.	क्षेत्र-वार कार्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)
उच्च प्राथमिकता वाले कार्य-**60%**				
1	पेयजल आपूर्ति	283	187.40	180.33
2	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय	67	32.78	22.16
3	स्वास्थ्य	227	49.82	41.70
4	शिक्षा	3049	190.37	103.62
5	महिला एवं बाल कल्याण	7	1.33	1.11
6	वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण	11	1.83	0.63
7	कौशल विकास	3	1.47	1.11
8	स्वच्छता	220	33.82	15.45
उप- योग (क)		**3867**	**498.82**	**366.11**
अन्य प्राथमिकता वाले कार्य **-40%**				
1	वास्तविक अवसंरचना	2825	566.60	342.69
2	सिंचाई	1	0.05	0.05
3	ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास	678	26.76	23.80
4	खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय	47	11.86	11.84
उप-योग (ख)		**3551**	**605.27**	**378.38**
योग		**7418**	**1104.09**	**744.49**

******